ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 60/2023/आई/367007/2023-16-3099/86/2020

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2023

विषयः- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश क्षमता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13645/ई-प्लान-12ए 2023-24 दिनांक 24.07.2022 व पत्र संख्या-14341/ई-प्लान-12ए 2023-24, दिनांक 27.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश क्षमता में कमी एवं वृद्धि का समाविष्ट करते हुए ई0डब्लू0एस0 कोटा सहित 169 राजकीय एवं अनुदानित संस्थओं में ए0आई0सी0टी0ई0 एवं राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रमों की अनुमोदित प्रवेश क्षमता 49778 निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में किए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 49778 सीटों की प्रवेश क्षमता संलग्न सूची में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित संस्थाओं में छात्र/छात्राओं का प्रवेश निर्धारित सीटों तक ही किया जायेगा तथा जिन संस्थाओं के लिये प्रवेश क्षमता का निर्धारण किया गया है, उन संस्थाओं में प्रवेश/पंजीकरण के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

(2) समस्त राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये उक्त निर्धारित 49778 सीटों पर काउन्सिलिंग के पूर्व समस्त तथ्यों एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की स्थिति सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(3) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद भी छात्रों का पंजीकरण करते समय यह पुष्टि कर लेंगे कि उक्त सभी सीटें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है।

(4) निर्धारित सीटों पर प्रवेश में आरक्षण संबंधी अद्यावधिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) फार्मेसी पाठयक्रम में निर्धारित प्रवेश क्षमतानुसार पी0सी0आई0, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) पी0सी0आई0 सरकुलर के अनुसार फार्मेसी पाठ्यक्रम मे पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत सीटें ई0डब्लू0एल0 प्रवेश हेतु अनुमन्य की गयी है।

(7) फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों में ए0आई0सी0टी0ई0 सरकुलर के अनुसार कालम-6 कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत सीटें ई0डब्लू0एस0 प्रवेश हेतु अनुमन्य की गयी है।

(8) आर्कीटेक्चरल असिस्टेंटशिप एवं इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्रवेश क्षमता के अनुसार काउसिंल आफ आर्कीटेक्चर के निर्देशानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

चिरौंजी लाल
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।

2- क्षेत्रीय कार्यालय ए0आई0सी0टी0ई0, विकास नगर, कानपुर।

3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।

4- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।

5- निदेशक, आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)

6- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, कानपुर।

7- निदेशक, ए0आई0टी0एच0, उ0प्र0 कानपुर (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0)

8- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0, लखनऊ।

9- पी0सी0आई0, नई दिल्ली (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)।

10- काउसिंल आफ आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)।

11- संबंधित राजकीय/अनुदानित संस्थाओ के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)

12- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

चिरौंजी लाल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/वस्तुकला परिषद से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर प्रस्तावित प्रवेश क्षमता

क्र.सं.	संस्था का नाम	नाम डिप्लोमा पाठ्यक्रम	वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता में वृद्धि	प्रवेश हेतु प्रस्तावित कुल प्रवेश क्षमता (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	**पश्चिमी क्षेत्र (क्षे0 कार्या0 दौराला मेरठ)**				
1.1	**रा0 पाली0, गाजियाबाद**	सिविल इंजी0	60	15	75
		मैकेनिकल इंजी0 (प्रोड0)	60	15	75
		मैकेनिकल इंजी0 (कैड विश0)	60	15	75
		इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	60	15	75
		मैकेनिकल इंजी0 (आटो0)	60	15	75
		इन्फारमेशन टेक्नालॉजी	60	15	75
		इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	60	15	75
		मास कम्युनिकेशन	60	15	75
		पी0जी0डी0 इन कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	60	15	75
		पी0जी0डी0 इन वेब डिजाइनिंग	60	15	75
		पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी	60	15	75
		पी0जी0 डिप्लोमा इन इंटरनेट आफ थिंग्स	60	15	75
		योग	**720**	**180**	**900**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।